

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 92/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स०मा० पुत्र स्व० श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/158

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.9.2022	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <p>1. जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक 304-312 दिनांक 15.4.2020 में अंकित बिन्दुओं के अनुसार बाडमेर जिले के उन 24 राशनकार्डों के उपभोक्ताओं के राशन का फर्जी ट्रान्जेक्शन का आरोप राजेश कुमार शर्मा उ.मू.दुकनदार ग्राम पंचायत खण्डार पर लगाया गया है उन उपभोक्ताओं की प्रमाणित सूची, मय उपभोक्ता का नाम, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील का नाम सहित नकल उपलब्ध करावे।</p> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/10 दिनांक 26.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा बाडमेर जिले के 24 राशनकार्डों में फर्जी ट्रान्जेक्शन कर राशन सामग्री का गबन करने के कारण उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 5.8.2020 को निरस्त किया गया है जिसकी अपील न्यायालय में जैरकार है। उक्त अनुज्ञा पत्र को बहाल करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनावश्यक/विस्तृत एवं अपूर्ण विवरण की सूचना मांगकर कार्यालय के कार्मिको/अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त संबंध में अपीलान्ट को पूर्व में सूचना दी चुकी है तथा कई बार लिखित एवं मौखिक अवगत कराया जा चुका है कि किसी व्यक्ति विशेष की सूचना के लिए कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर चिन्हित कर लेवे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना (24 उपभोक्ताओं के नाम की प्रमाणित सूची) अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वांछित सूचना (24 उपभोक्ताओं के नाम की प्रमाणित सूची) अपीलान्ट को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम्प्लिट एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।</p>

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर